भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4180

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'एंटीबायोटिक्स को "नई दवा" के रूप में मान्यता

4180. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विनियामक निकाय-केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)- सभी एंटीबायोटिक्स को "नई दवाओं" के रूप में मानने और इस प्रकार इस श्रेणी में किसी भी दवा को लॉन्च करने के लिए केन्द्रीकृत अनुमोदन को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, ने विवेचन किया कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, ऐंटिफंगल औषधियों आदि के दुरुपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध हो सकता है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 7 के तहत औषध परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और डीटीएबी को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में संपूर्ण भारत में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति वाले किसी भी मामले पर सलाह देने वाली सलाहकार समिति है।

*****